Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 18, Issue No. 6, October-2021, ISSN 2230-7540

"निवार्णवन फाउण्डेशन" द्वारा समाज से वंचित बालकों को शिक्षा प्रदान करने में आने वाली "आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना"

Shalu Soni[1]* Dr. Savita Gupta[2]

[1] PhD Scholar, Lords University, Alwar, Rajasthan

[2] Research Supervisor, Lords University, Alwar, Rajasthan

सारः- *शिक्षा वर्तमान समाज का महत्वपूर्ण घटक है जिसकी आधारशिला बालकों पर टिकी हुई है। बच्चे राष्ट्र की अनमोल निधि है। उन्ही पर राष्ट्र की आशाएँ व उम्मीदे निर्धारित होती है। बच्चो को जीवन में प्यार, दूलार, प्रोत्साहन व संरक्षण चाहिए। बालकों की आकांशाओं व आवश्यकताओं को देखते हुऐ 20 नवम्बर, 1959 को संयुक्त राष्ट्रसंघ ने विश्व के सभी बालकों के "नौ अधिकारों" की घोषणा की जिसमें "शिक्षा का अधिकार" पहला व महत्वपूर्ण है। जिसकी पूर्ति के लिए समाज में अनेक गैर सरकारी संस्थाएँ कार्य करती है इसी प्रकार "अलवर" जिले में निर्वाणवन फाउण्डेशन द्वारा समाज से वंचित बालकों को शिक्षा प्रदान की जाती है। इस कार्य के दौरान फाउण्डेशन के समक्ष आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक समस्याएँ निरन्तर बनी रहती है। न्यादर्श के रूप में अलवर जिले के "निर्वाणवन फाउण्डेशन" की पाँच शाखाओं के '500' (विद्यार्थी-150, अध्यापक - 100, अभिभावक - 150, संस्था से जुड़े समाज के लोग-100) का चयन किया गया है। एवं सस्था प्रधानो के लिए साक्षात्कार का चयन किया गया है। शोध में एकल अध्ययन विधि का चयन किया गया है। शोध में प्रतिशत और विवरणात्मक सांख्यिकी का प्रयोग किया गया है। उपकरण स्वनिर्मित है जिसमें 30-30 प्रश्नो की 'दो' प्रश्नावली है जिसमें सकारात्मक प्रश्न के लिए '2' ब नकारात्मक प्रश्न के लिए '0' अंक निर्धारित है । एक प्रश्नावली विद्यार्थियो के लिए एवं एक प्रश्नावली अध्यापक, अभिभावक व संस्था से जुड़े समाज के लोगों के लिए है । साथ हि '15' प्रश्नो का स्वनिर्मित साक्षात्कार पत्रक है। प्रस्तुत शोध का निष्कर्ष यह निकलता है कि संस्था के समक्ष सबसे अधिक उसके बाद शैक्षिक व अंतः सामाजिक समस्याएँ बनी रहती है।*

----------X----------

प्रस्तावना:-

परम्परागत समाज में बालकों के कर्तव्यों, मर्यादाओं एवं वांछनीय आदर्श व्यवहार का उल्लेख तो मिलता है परन्तु बालकों के अधिकारों का कहीं और वर्णन नही मिलता। अतः स्वतंत्रता पश्चात् भारतीय संविधान के अनुच्छेद '45' में शिक्षा का उल्लेख किया गया तथा '4 अगस्त 2009' को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को बच्चो का मौलिक अधिकार बना दिया गया। परन्तु आजादी के 63 वर्षो के बाद भी भारतीय समाज में अनेक ऐसे समुदाय है जो समाज से वंचित है जिन्हे आज भी दया, घृणा, आकर्षण और उत्पीड़न की भावना से देखा जाता है। ऐसे बच्चो को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का एक ही साधन है। 'शिक्षा'। समाज में इस कार्य के लिए अनेक स्वयं सेवी संस्थाएँ है जो अपना पूर्ण सहयोग इस कार्य क लिए दे रही है। परन्तु इन संस्थाओं के समक्ष प्रतिदिन ऐसी अनेक समस्याएँ आती है जिनका निवारण असंभव है और ये समस्याएँ संस्था के विकास में बाधा का काम करती है। इसी को ध्यान में रखकर शोधकर्त्री ने इस समस्या "निर्वाणवन फाउण्डेशन द्वारा समाज से वंचित बालकों को शिक्षा प्रदान करने में आने वाली आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना" प्रकरण को अपने शोध के लिए चयन किया है।

निर्वाणवन फाउण्डेशन एक गैर सरकारी, अलाभकारी, धर्म निरपेक्ष संस्था है जो अलवर जिले में 2001 से समाज से वंचित बालकों की शिक्षा के लिए (NGO's) के रूप में कार्यरत है। संस्था का रजिस्ट्रेशन नं. 'एस 40361' है। यह संस्था चाइल्ड लाइन का प्रतिनिधित्व भी करती है। जो कि एक आपात कालिन मुक्त राष्ट्रीय फोन सेवा है जिसका फोन नं. 1098 है

www.ignited.in

यह भारत के 25 राज्यो के 84 शहरो में NGO's की मदद से कार्य करती है। यह संस्था स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं का एक समूह है जिसका लाभ उसके शेयर होल्डर में विभाजित नही होता बल्कि लाभ का प्रयोग संस्था के उद्देश्यो को प्राप्त करने में किया जाता है। फाउण्डेशन द्वारा बालकों को सुरक्षित भविष्य के अवसर व स्थान देना ही संस्था का प्रमुख लक्ष्य है। परन्तु फाउण्डेशन के समक्ष प्रतिदिन ऐसी बहुत सी समस्याएँ आती है। जिसमें वित्त की समस्या, अध्यापको की समस्या, संस्था के संचालन की समस्या आदि मुख्य समस्याएँ है जिनका निवारण मुश्किल कार्य है। इसी को ध्यान में रखकर शोधकर्त्री ने इस समस्या का अपने शोध के लिए चयन किया है तथा वर्तमान मं परिपेक्ष्य में इसका अध्ययन किया जाना औचित्यपूर्ण है।

शोध अध्ययन के उद्देश्य:-

(1) निर्वाणवन फाउण्डेशन द्वारा समाज से वंचित बालकों को शिक्षा प्रदान करने में आने वाली आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करना।

(2) निर्वाणवन फाउण्डेशन द्वारा समाज से वंचित बालकों को शिक्षा प्रदान करने में आने वाली शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन करना।

(3) निर्वाणवन फाण्डेशन द्वारा समाज से वंचित बालकों को शिक्षा प्रदान करने में आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना।

प्रयुक्त चर:-

स्वतंत्र चर - निर्वाणवन फाउण्डेशन।

आश्रित चर - समाज से संचित बालकों को शिक्षा प्रदान करने में आने वाली समस्याएँ।

विधि:-

प्रस्तुत शोध अध्ययन में एकल अध्ययन विधि का प्रयोग किया गया है।

न्यादर्श:-

संस्था की ' 5 ' शाखाएँ

विद्यार्थी	अभिभावक	अध्यापक	संस्था से जुड़े समाज के लाग
(150)	(150)	(100)	(100)

न्यायदर्शनः-

प्रस्तुत शोध में उद्देश्य प्रतिचयन विधि का चयन किया गया है।

उपकरण:-

(1) स्वंनिर्मित प्रश्नावली = 2

(A) विद्यार्थीयो के लिए।

(B) अध्यापक, अभिभावक व संस्था से जुड़े समाज के व्यक्तियो के लिए।

(2) स्वंनिर्मित साक्षात्कार पत्रक = (1)

संस्था की ' 5 ' शाखाओं के संस्था प्रधान के लिए

प्रयुक्त सांख्यिकी:-

प्रतिशत सांख्यिकी $ विवरणात्मक प्रविधि

विश्लेषण:-

25 लाख अनुदानित राशि

(संस्था में होने वाले व्यय रूपये प्रतिवर्ष)

क्र.सं.	मद	व्यय
1	अध्यापक	22,40,000
2	यातायात व्यय	15,00,000
3	विद्यालय सहायक सामग्री	14,40,000
4	अन्य खर्च	10,40,000
कुल		6,220,000

- संस्था की 'पाँच' शाखाओं का प्रतिवर्ष खर्च 62,20,000 रूपये है जो संस्था के प्राप्त अनुदान (25 लाख) से काफी ज्यादा है। अतः इस परिस्थिति में संस्था का संचालन करना संभव नही है।
- संस्था द्वारा संचालित विद्यालय (पाँच शाखाएँ) प्राथमिक स्तर तक है एवं सभी में 5-7 कक्षा-कक्ष है व विद्यार्थियों की संस्था 650-670 है। शिक्षण सामग्री, आवागमन खर्च, शिक्षकों का वेतन व योग्यता कई समस्याएँ संस्था के समक्ष उत्पन्न है।
- संस्था को स्थानीय व सामाजिक लोगों का सहयोग न मिल पाना व इन 'रिमोट एरियाज' के छात्रो के प्रति हेयता कि दृष्टि रखना संस्था के समक्ष समस्या है

www.ignited.in

जिसके कारण समाज द्वारा संस्था को अनुदान नही मिल पाता है।

निष्कर्ष:-

उपर्युक्त विश्लेषण के पश्चात् निष्कर्ष यह है -

1- अनुदानित राशि का कम होना व व्यय का ज्यादा होना संस्था के समक्ष आर्थिक समस्या होने का वर्णन करता है।

2- शिक्षकों को योग्यता, वेतन, आवागमन खर्च, विद्यालय भवन, विद्यालय सहायक सामग्री आदि कारण संस्था के समक्ष शैक्षिक समस्या होने का वर्णन करते है।

3- समाज के व्यक्तियो का सहयोग, सहानुभूति न मिलना व समाज का इन विद्यार्थियों के प्रति हेय दृष्टि रखना संस्था के समक्ष सामाजिक समस्या होने का वर्णन करता है।

अतः उपर्युक्त विवरण उद्देश्य की पूर्ति करता है ।

संदर्भ ग्रन्थ

1. अग्रवाल, रश्मि, (1999) "स्ट्रीट चिल्ड्रन" शिप्रा पब्लिकेशन्स, दिल्ली।

2. जैन, प्रतिभा एवं संगीता शर्मा, (1998) "भारतीय स्त्री" रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर।

3. रूहेला, एस.पी., (2008) "विकासोन्मुख भारतीय समाज में शिक्षक और शिक्षा" अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा।

4. शर्मा, आर.ए., (2011) "शिक्षा अनुसंधान के मूल तत्व एवं शोध प्रक्रिया" आर.लाल बुक डिपो, मेरठ।

5. त्रिपाठी, मधुसुदन (2015) "बालिका शिक्षा भाग-2" विद्यावती प्रकाशन, नई दिल्ली।

Corresponding Author

Shalu Soni*

PhD Scholar, Lords University, Alwar, Rajasthan

www.ignited.in